मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,-

(१) अनुच्छेद ५ में, कॉलम (२) में, शब्द ''पचास रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो सौ रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(२) अनुच्छेद ६ में,-

(एक) खण्ड (ङ) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (छ ख) में, उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(एक) यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए तक है.	एक हजार रुपए
(दो) यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक है.	दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए संविदा मूल्य का ०.२ प्रतिशत.''.

(तीन) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(ज) यदि अन्यथा उपबंध न किया गया हो,—

(एक) जहां मूल्य निहित है	न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक दस हजार रुपए या उसके भाग के लिए एक रुपया,

(दो) उपर्युक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामले के लिए	एक हजार रुपए.''.

(३) अनुच्छेद २४ में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(४) अनुच्छेद ३२ में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(५) अनुच्छेद ३८ के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''(तीन) उपर्युक्त (एक) एवं (दो) के अंतर्गत न आने वाले खनन पट्टों के लिए	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का २ प्रतिशत.''.

(६) अनुच्छेद ४१-क में,-

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द ''पांच हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(७) अनुच्छेद ४८ में, कॉलम (१) में, स्पष्टीकरण-एक में, शब्द ''नाती'' के पश्चात्, शब्द ''तथा भाई की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी व बच्चे'' जोड़े जाएं.

(८) अनुच्छेद ४९ में,-

(एक) खण्ड क के उपखण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड ख के उपखण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(९) अनुच्छेद ५० में,-

(एक) खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द ''दो हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ङ) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(पांच) खण्ड (च) में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(१०) अनुच्छेद ५३ में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(११) अनुच्छेद ६० में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(१२) अनुच्छेद ६३ में, खण्ड ख में, कॉलम (२) में, शब्द ''एक हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) के साथ संलग्न दो अनुसूचियाँ विभिन्न प्रकार के लिखितों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती हैं. अनुसूची-एक उन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती है, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि ९१ में प्रगणित हैं, जबकि अनुसूची १-क उन पर, जो सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि ६३ में प्रगणित हैं.

२.. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की अनुसूची १-क के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन प्रस्तावित हैं. विद्यमान अनुसूची १-क वर्ष २०१४ में पुनरीक्षित की गयी. इसलिए मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत किया जाना है. तद्नुसार विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन निष्पादित नियत राशि से प्रभार्य लिखतों पर स्टाम्प शुल्क में वृद्धि की जा रही है. अतएव भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की अनुसूची १-क के विभिन्न अनुच्छेदों में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
दिनांक २७ जुलाई, २०२५.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) से उद्धरण

०५.	**शपथ-पत्र** अर्थात् लिखित में किया गया कोई कथन जो तथ्यों के कथन के लिए तात्पर्यित है जो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा शपथ पर या उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें विधि द्वारा घोषणा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रतिज्ञान द्वारा की गई है.	पचास रुपए.
०६ (ङ) (दो).	जब संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता है;	एक हजार रुपए.
०६ (छख).	कोई संकर्म संविदा, जिसमें संविदा के सम्यक् अनुपालन अथवा किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने वाला कोई करार अंतर्विष्ट हो और जो कोई विकास अथवा निर्माण करार अथवा प्रतिभूति बंध पत्र न हो :-	
	(एक) यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपये तक है	पांच सौ रुपये
	(दो) यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक है.	पांच लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए संविदा मूल्य का ०.१ प्रतिशत.
०६ (ज).	यदि अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो.	पांच सौ रुपए.

* * * * *

२४.	किसी प्रतिफल के **बिना सहमति विलेख** जो पूर्व में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले किसी दस्तावेज का भाग बन गया है.	एक हजार रुपए.

* * * * *

३२.	पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को **संशोधित या उसमें सुधार करने का दस्तावेज**, परन्तु जिसके द्वारा कोई सारवान परिवर्तन न किया जा रहा हो.	एक हजार रुपए.

* * * * *

३८ (ख).	किसी भी कालावधि का **खनन पट्टा**, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने का कोई करार या पट्टे का कोई नवीकरण सम्मिलित है :-	
	(एक) मुख्य खनिज के मामले में	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का २ प्रतिशत
	(दो) गौण खनिज के मामले में.	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का १.२५ प्रतिशत.

* * * * *

४१ क.	शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित **अनुज्ञप्ति** अर्थात् आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) के उपबंधों के अधीन शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज :-	
	(क) निम्नलिखित से संबंधित अनुज्ञप्ति :-	
	(एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल	पांच हजार रुपए.
	(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार	दो हजार रुपए.
	(ख) निम्नलिखित से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-	
	(एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल	दो हजार रुपए.
	(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार	एक हजार रुपए.
* *	* *	*
४८ (एक).	जब कुटुंब के सदस्यों के बीच की गई हो	ऐसी संपत्ति के पृथक् किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य का ०.५ प्रतिशत.
* *	* *	*
४९.	(क) जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं हैं या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपए ५०,००० से अधिक नहीं है;	दो हजार रुपए.
	(ख) जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपए ५०.००० से अधिक है.	न्यूनतम दो हजार रुपए एवं अधिकतम दस हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, अभिदत्त शेयरों का दो प्रतिशत.
* *	* *	*
५० (क).	जबकि वह खण्ड (ग) या (घ) के अंतर्गत आने वाले मुख्तारनामा को छोड़कर एक या अधिक व्यक्तियों को एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	एक हजार रुपए.
५० (ख).	जबकि वह खण्ड (ग) या (घ) के अंतर्गत आने वाले मुख्तारनामा को छोड़कर एक व्यक्ति को एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणत: कार्य करने के लिए या दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्तत: या पृथकत: एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणत: कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	दो हजार रुपए.
* *	* *	*
५० (घ).	जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है तथा अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित स्थावर संपत्ति को विक्रय, दान, विनिमय या स्थाई रूप से अन्य संक्रांत करने के लिए प्राधिकृत करता है :-	
	(एक) जब अभिकर्ता कुटुंब का सदस्य है	(एक) जब अभिकर्ता कुटुंब का सदस्य है

	(दो) जब अभिकर्ता कुटुंब का सदस्य नहीं है.	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
५० (ङ).	जबकि वह किसी व्यक्ति को किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप्स, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या इसी प्रकार की विपण्य प्रतिभूति को मालिक के नाम से क्रय करने के एकमात्र प्रयोजन के लिये प्राधिकृत करता है.	एक हजार रुपए.
५० (च).	अन्य किसी मामले में;	प्राधिकृत किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक हजार रुपए.

* * * * *

५३.	**बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण**, जिसमें हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक सम्मिलित है;	एक हजार रुपए.
६०.	**पट्टे का अभ्यर्पण** बिना किसी प्रतिफल के तथा जहां विषय-वस्तु संपत्ति उसी स्थिति में हो, जैसी कि वह मूल पट्टा विलेख में अभिकथित की गई थी.	एक हजार रुपए.

* * * * *

६३ ख.	न्यास का प्रतिसंहरण- किसी संपत्ति का या उसके बारे में, जबकि वह वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो.	एक हजार रुपए.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.